पटना विश्वविद्यालय

बजट अभिभाषण

2015-16

29 जनवरी, 2015

पटना विश्वविद्यालय, पटना

कुलपति महोदय एवं अनुषद् के सदस्यगण

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अभिषद् की ओर से पटना विश्वविद्यालय का वास्तविक आय-व्यय वर्ष 2013-14, पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलन वर्ष 2014-15 एवं प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन वर्ष 2015-16 प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

पहले की तरह ही प्रस्तुत आय-व्ययक दो खण्डों में विभाजित है । खण्ड-I में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Revenue Receipts & Expenditure) से सम्बन्धित प्राक्कलन हैं । वस्तुत: यही विश्वविद्यालय का सामान्य कोष है। खण्ड-II में पूँजी एवं विकास परियोजनाओं के आय-व्यय (Capital Receipts & Expenditure) दिखाये गये हैं।

खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय (Recurring /Revenue Receipts & Expenditure):

वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन (Proposed Estimates of Receipts & Expenditure) को उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दूर-शिक्षा निदेशालय तथा स्व-वित्तपोषित/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे मुख्य चार उपशीर्षकों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:-

खण्ड-I आवर्तक/राजस्व प्राप्ति एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

(Summary of the Recurring/Revenue Receipts & Expenditure)

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक आय-व्यय 2013-14 (करोड़ रू० में)	पुनरीक्षित आय-व्ययक 2014-15 (करोड़ रू० में)	प्रस्तावित आय-व्ययक 2015-16 (करोड़ रू० में)
(अ)	1. शिक्षा विभाग - वेतन, भत्ता, सेवान्तक लाभ, आकस्मिक व्यय सहित	200.51	249.62	274.15
	2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- बी.सी.ई. वेतनान्तर एवं सेवान्तक लाभ पर व्यय	2.78	8.45	8.71
	3. दूर शिक्षा निदेशालय - सम्पूर्ण व्यय	3.32	3.04	3.09
	4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम- सम्पूर्ण व्यय	5.50	8.80	9.27
	योग कुल - व्यय	212.11	269.91	295.22
(ब)	(-) घटाव कुल आय *(अनुदान रहित)-	215.16	39.42	47.60
(स)	कुल शुद्ध घाटे का बजट (Net Deficit Budget) (अ-ब)	(+) 3.05	(-) 230.49	(-) 247.62

(क) वास्तविक आय-व्यय (Actuals of Receipts & Expenditure) 2013-14 :

वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 200.51 करोड़ रू. वास्तविक व्यय के विरूद्ध उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा विद्युत बकाया भुगतान सहित कुल 187.24 करोड़ रू. अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया था।

(ख) पुनरीक्षित आय-व्ययक (Revised Budget Estimates) 2014-15:

विश्वविद्यालय ने बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष, 2014-15 के लिए अभिषद् द्वारा पारित बकाया सहित 373.18 करोड़ रूपये के प्रस्तावित बजट में से समस्त आन्तरिक श्रोतों से प्राप्त आय 27.66 करोड़ रूपये घटाने के पश्चात् 345.53 करोड़ रूपये घाटा अनुदान का बजट प्रस्तुत किया गया था।

उपर्युक्त के विरूद्ध राज्य सरकार से वर्ष 2014-15 पुनरीक्षित बजट में कुल 269.91 करोड़ के प्रस्तावित व्यय से विश्वविद्यालय के समस्त आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त आय 39.42 करोड़ घटाने के पश्चात् 230.49 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

उल्लेखनीय है कि 2014-15 के उपर्युक्त पुनरीक्षित प्रस्तावित बजट से मार्च 2014 से दिसम्बर 2014 तक वेतनादि/पेंशनादि, एवं विद्युत बकाया भुगतान के मदों में कुल 239.30 करोड़ रु० का अनुदान प्राप्त हो चुका है ।

उपर्युक्त अनुदानों में से मार्च 2014 से सितम्बर 2014 तक के वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवान्तक लाभ के मदों में प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार को भेजा जा चुका है तथा अक्टूबर 2014 से दिसम्बर 2014 तक प्राप्त अनुदानों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार को भेजने की प्रक्रिया चल रही है ।

शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्ष 1996 एवं वर्ष 2006 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण के वेतनान्तर एवं सेवांतक लाभ के मदों में ससमय पर्याप्त अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को अनावश्यक न्यायवाद एवं व्ययों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) पूर्ववर्ती बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार):

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा तत्कालीन बी.सी.ई. के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित बजट में कुल 8.45 करोड़ रूपये के घाटा-अनुदान की राशि में से मार्च 2014 से जून 2014 तक के पेंशन भुगतान के

लिए मात्र 0.81 करोड़ रूपये विमुक्त किये गये हैं । इस मद में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि एवं वेतनांतर राशि के भुगतान के लिए 7.63 करोड़ रूपये अभी तक राज्य सरकार से अप्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन एवं वेतनान्तर भुगतान हेतु कुल 8.71 करोड़ रूपये घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है ।

(घ) सृजित पद एवं कार्यरत बल (Sanctioned posts and Employees in position) :

शिक्षकों के स्वीकृत एवं सत्यापित कुल 888 पदों के विरूद्ध वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 343 है । रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त, पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल स्वीकृत 1436 पदों के विरूद्ध 828 शिक्षकेत्तर कर्मी ही कार्यरत हैं।

पठन-पाठन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्तुत बजट में वर्ग के आधार पर योग्य शिक्षकों द्वारा कक्षाओं का संचालन के लिए 15 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इसी प्रकार शिक्षकेत्तर कर्मियों के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा पर नियुक्ति (Outsourcing) करने के लिए प्रस्तुत बजट में 13.75 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है । यह राशि मुख्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों के लिए होगी ।

उल्लेखनीय है कि संविदा (Outsourcing) के आधार पर शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिक्षा विभाग द्वारा 3.50 करोड़ रूपये की राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है।

(ड.) परिनीयत अनुदान (Statutory Grant) :

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 47(i) में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद भी परिनीयत अनुदान की निर्धारित वार्षिक राशि 1.61 करोड़ रू० में प्रत्येक 5 वर्षों पर संशोधन तो दूर की बात रह गई, राज्य सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित परिनीयत अनुदान की वार्षिक राशि 1.61 करोड़ रू. भी गत 10 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2006-07 से 2015-16 तक की कुल रकम 16.10 करोड़ रू. की राशि भी विमुक्त नहीं की गई है। परिणामस्वरूप शेष विद्युत बकाया, नगर निगम कर बकाया आदि का वित्तीय भार विश्वविद्यालय पर 2.97 करोड़ पहुँच गया है ।

विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों के Autosweep प्रणाली के तहत प्राप्त ब्याज के कुल 4.00 करोड़ रूपये से आकस्मिक व्ययों तथा शैक्षणिक कार्यों के विकास पर व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान के मद में राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्युत बोर्ड को दिनांक 11.01.2013 को 55.00 करोड़ रूपये का बैंक ड्राफ्ट हस्तगत कराया गया था । फिर भी विश्वविद्यालय पर विद्युत बकाये के रूप में लगभग 2.70 करोड़ रूपये बाकी है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार के सहयोग के बिना कठिन है ।

(च) प्रस्तावित आय-व्ययक (**Proposed Estimates of Receipts & Expenditure**), **2015-16**:

यहाँ यह उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक प्राक्कलन में उच्च शिक्षा विभाग पर 274.15 करोड़, दूर-शिक्षा निदेशालय पर 3.09 करोड़, स्ववित्तपोषित/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर 9.27 करोड़ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग पर 8.71 करोड़ रूपये अर्थात कुल 295.22 करोड़ रूपये के व्यय राज्य सरकार से अनुमोदन हेतु प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के उपरोक्त प्रस्तावित व्यय के विरुद्ध विश्वविद्यालय के सभी आन्तरिक स्त्रोतों से अनुमानित आय 47.60 करोड़ रूपये घटाने के पश्चात् कुल 247.62 करोड़ रूपये मात्र घाटे का बजट (**Deficit Budget**) सदन के पटल पर माननीय अनुषद् सदस्यों की अनुशंसा के लिये प्रस्तुत हैं।

तदोपरान्त, उपर्युक्त प्रस्तावित कुल घाटे की रकम में से 239.09 करोड़ रूपये के घाटे का बजट राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के समक्ष तथा 8.71 करोड़ रूपये घाटे का बजट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के समक्ष मदवार अनुमोदन एवं अनुदान विमुक्ति हेतु भेजे जा सकेंगे।

प्रस्तावित 2015-16 के बजट की कतिपय मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

(1) वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 804 (वि) दिनांक 01.09.2014 एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2120 दिनांक 07.11.2014 में निहित शर्तों एवं निदेशों के आलोक में प्रस्तावित बजट के अन्तर्गत वेतनादि/पेंशनादि की गणना 118 प्रतिशत महँगाई भत्ता के आधार पर की गई है तथा जुलाई, 2015 में तीन प्रतिशत (3%) की दर से वेतनवृद्धि को जोड़कर फरवरी 2016 तक के लिए प्रस्तावित बजट 2015-16 में प्रावधान किया गया है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये प्रस्तावित बजट के भीतर **Schedule - D** के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्ष क्रमश: 1986 तथा 1996 से प्रभावी चतुर्थ एवं पंचम् वेतन पुनरीक्षण में वेतनान्तर राशि, महँगाई भत्ता अंतर राशि, शिक्षकेत्तर कर्मियों के ग्रेड-पे, 50% महँगाई भत्ता, विद्युत विपत्र, नगर निगम कर आदि बकायों के लिए 18.07 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(3) इसी प्रकार **Schedule - A** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में पेंशनादि, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, कुलपति/प्रतिकुलपति, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के जनवरी 2006 से प्रभावी षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण वेतनान्तर, नई पेंशन योजना (NPS) के अन्तर्गत नियोक्ता का अंशदान, शिक्षकेत्तर कर्मियों के ग्रेड-पे अंतर राशि, ए०सी०पी०/एम०सी०पी० वेतनांतर, श्री भी०एस० दूबे कमिटि के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनांतर, 7% वर्धित मँहगाई भत्ता आदि बकायों के भुगतान के लिए भी प्रस्तावित बजट में प्रावधान किया गया है ।

(4) पुनः वित्तीय वर्ष 2015-16 के **Schedule - C** के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों के भुगतान में एकरूपता बनाये रखने के लिये सेवानिवृत कर्मियों को वर्ष 2006 से प्रभावी षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण में पेंशन, उपादान, उपार्जित अवकाश- नकदीकरण, मँहगाई राहत, सेवान्तक लाभ आदि बकायों के भुगतान के लिए कुल 32.20 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा वेतन पुनरीक्षण वेतनांतर एवं सेवांतक लाभों के भुगतान हेतु ससमय पर्याप्त अनुदान विमुक्त नहीं किये जाने के कारण विश्वविद्यालय को अनावश्यक न्यायवाद एवं व्यय का वहन करना पड़ रहा है।

(6) ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के पत्रांक एफ0/08-01/201 दिनांक 28.01.2004 के आलोक में, बिहार सरकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर, पटना विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय को एन. आइ. टी. पटना का दर्जा प्रदान किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 29.01.2004 के पश्चात् तत्कालीन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जीनियरिंग (NIT) के कर्मियों के वेतनादि / पेंशनादि सहित अन्य सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार वहन करती है । किन्तु तत्कालीन बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय के उत्क्रमण की तिथि दिनांक 29.01.2004 के पूर्व सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्तक लाभ एवं वेतनान्तर का दायित्व बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पर है । इन लोगों के सेवांतक लाभ एवं वेतनान्तर के मद में वित्तीय वर्ष, 2014-15 के पुनरीक्षित बजट में 8.45 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रस्तावित बजट में 8.71 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ज्ञातव्य है कि वित्तीय संकटों के वाबजूद आन्तरिक स्रोतों यथा- परीक्षा, दूर शिक्षा निदेशालय आदि से ऋण प्राप्त कर तत्कालिन बिहार कॉलेज ऑफ इन्जिनियरिंग के सेवानिवृत्त कर्मियों को सितम्बर 2014 माह तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। शेष अवधि के पेंशन का भुगतान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुदान प्राप्त होने के पश्चात् ही संभव हो सकेगा । सरकार से अनुदान विमुक्त कराने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सतत् सक्रीय प्रयास किया जा रहा है ।

(7) विश्वविद्यालय मुख्यालय, कॉलेजों, छात्रावासों, विभागों, आवासों आदि की विशेष मरम्मती के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक 2015-16 के आकस्मिक व्यय मद में कुल 4.46 करोड़ रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(8) प्रस्तुत बजट में मुख्यालय, महाविद्यालयों, स्नातकोत्तर विभागों तथा स्व-वित्तपोषित संस्थानों की साफ-सफाई एवं उनके सौन्दर्यीकरण के लिए भी राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(9) इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित बजट में आकस्मिक व्यय के मद में पुस्तकालय व्यय, प्रयोगशाला व्यय, छात्र के क्रियाकलापों आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है ।

(10) राज्य सरकार ने विभागीय पत्रांक 2085 दिनांक 09.12.1999 के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 1998-99 के बजट अनुदान स्वीकृति के क्रम में यह व्यवस्था दी है कि आगे से विश्वविद्यालय अपने आन्तरिक स्रोतों की आय से ही अपने सभी प्रकार के आकस्मिक व्ययों (Contingent Expenses/Contingencies) की प्रति-पूर्ति करेगी।

उपरोक्त दिशानिदेश के आलोक में स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थानों एवं स्व-वित्तपोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आन्तरिक स्रोतों के प्राप्त आय से उनके आकस्मिक व्ययों के लिए प्रस्तावित बजट 2015-16 में व्यय का प्रावधान किया गया है ।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है प्रस्तावित बजट 2015-16 के **Schedule-B** के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों के लिए कुल 29.25 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय का प्रावधान किया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को विभिन्न आंतरिक स्रोतों से कुल 35.06 करोड़ रूपये आय प्राप्ति का अनुमान है।

(11) स्नातकोत्तर विभागों, कॉलेजों, संस्थानों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनेक स्ववित्तपोषित/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Vocational/ Self Financed Courses) चलाए जा रहे हैं जिनपर वित्तीय वर्ष 2013-14 में वास्तविक व्यय 5.50 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2014-15 पुनरीक्षित में व्यय पर 8.80 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 9.27 करोड़ रूपये व्यय के प्रस्ताव के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में वास्तविक आय 8.87 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2014-15 पुनरीक्षित में 8.85 करोड़ रूपये आय तथा वर्ष 2015-16 के प्रस्तावित बजट में 9.40 करोड़ रूपये आय प्राप्त होने की संभावना है । इसे प्रस्तुत बजट के अन्दर अलग से दर्शाया गया है ।

इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन-व्यय के पश्चात् शेष राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के आकस्मिक व्ययों, विकास कार्यों एवं लम्बित व्ययों आदि पर व्यय किए जाते हैं ।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आए दिन परम्परागत पाठ्यक्रमों के प्रति छात्रों के रूझान में कमी आई है। माननीय सदस्यों को इस समस्या के समाधान पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring / Capital and Development) :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय-समय पर पंचवर्षीय योजनाओं तथा विशेष अनुदान के साथ-साथ केन्द्र तथा राज्य सरकार से विकास सम्बन्धी प्राप्त अनुदानों के आय-व्यय का उल्लेख प्रस्तुत बजट के खण्ड- II अनावर्तक / पूंजी एवं विकास मद (Non-recurring/Capital and Development) शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिक्त यू.जी.सी. एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त विविध शोध-परियोजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान के आय-व्यय का व्यौरा भी इसी खण्ड में दर्शाया गया है ।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नये विकास कार्यों, नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर विभागों की स्थापना का प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी इसी खण्ड में प्रस्तावित है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(A) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से XII पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि 12.53 करोड़ रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 तक विश्वविद्यालय को General Development Asistance Scheme के तहत् कुल 6.44 करोड़ रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ था । प्राप्त अनुदान से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक पुस्तक एवं पत्रिका मद में 62.85 लाख एवं

प्रयोगशाला मद में 124.40 लाख अर्थात् कुल 187.25 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है तथा शेष रकम वित्तीय वर्ष 2014-15 में खर्च कर लेने का प्रस्ताव है ।

(A-1) इस अनुदान के व्यय करने की प्राथमिकता का पुन: निर्धारण सम्बंधी विस्तृत विवरणी अलग से दर्शाया गया है ।

(B) XII पंचवर्षीय योजना Merged Scheme के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 तक प्राप्त राशि 30.00 लाख रुपये के साथ-साथ XI पंचवर्षीय योजना की शेष अनुपयोगित रकम 213.00 लाख अर्थात् कुल 243 लाख रुपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 तक 30.00 लाख रूपये व्यय किये किये जाने का प्रस्ताव है तथा शेष राशि 213.00 लाख रूपये को वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ।

(C) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्र सरकार से विश्वविद्यालय के विविध शोध-परियोजनाओं (Miscellaneous Research Projects/Schemes) के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30.10 लाख रूपये राशि प्राप्त हुये थे जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही उपयोग कर लिया गया है ।

(D) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से Infrastructure Development हेतु अतिरिक्त विकास अनुदान (Additional Development Grant) मदों में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 1.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 90.00 लाख रूपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से 16.71 लाख रूपये का उपयोग करना शेष रह गया था । इस शेष रकम में से वित्तीय वर्ष 2014-15 में 8.48 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8.22 लाख रूपये व्यय करने का लक्ष्य है ।

(E) राज्य सरकार से विकास परियोजना मद में वित्तीय वर्ष 2006-07 में 256.00 लाख रूपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2012-13 तक कुल 250.23 लाख रूपये का उपयोग किया जा चुका है तथा ब्याज सहित शेष रकम 11.12 लाख रूपये को वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपयोग कर लिए जाने का प्रस्ताव है ।

सम्बंधित विभागाध्यक्षों, शिक्षकों एवं अधिकारियों से आग्रह है कि प्राप्त अनुदान के उपयोग का विश्वविद्यालय के माध्यम से अंकेक्षण कराकर यू०जी०सी०/केन्द्र सरकार / राज्य सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।

(F) शिक्षा विभाग के पत्रांक 1906 दिनांक 23.10.2013 के आलोक में **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** (RUSA) के अन्तर्गत संस्थागत विकास के लिए पटना विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए कुल 1516.845 करोड़ अर्थात् 303.369 करोड़ वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है ।

इसी योजना के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की कमी को दूर करने के लिए संविदा पर (Outsourcing) नियुक्त करने का प्रस्ताव है । इसके लिए पाँच वर्षों के लिए कुल 48.13 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजना है । साथ ही पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि हेतु स्वीकृत तकनीकी पदों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता तथा मानदण्डों के अनुरूप भरने की प्रक्रिया राज्य सरकार के आर्थिक अनुमोदन के पश्चात् प्रयास आरंभ की जायेगी ताकि प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति सुदृढ़ हो सके ।

यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि उपर्युक्त प्रस्ताव में पटना कॉलेज, बी० एन० कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के अतिरिक्त कई स्नातकोत्तर विभागों के प्रस्ताव कतिपय कारणों से प्रस्तुत परियोजना में सम्मलित नहीं किए जा सके हैं जिन्हें बाद में सरकार को भेजा जायेगा ।

(G) राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के भवनों के मरम्मती आदि के लिए 56 परियोजनाओ पर 1.91 करोड़ रूपये एवं 28 परियोजनाओं पर 1.11 करोड़ रूपये अर्थात् कुल 3.02 करोड़ रूपये का प्रस्ताव बजट में अलग से प्रस्तुत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त यू०जी०सी० को विश्वविद्यालय के 9 विकास परियोजनाओं के लिए 48.10 लाख रूपये XII पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुमोदन/विमुक्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

(H) मास्टर प्लान, यू०जी०सी० एवं अन्य अनुदान एजेन्सियों के मानदण्डों के अनुरूप एक वृहत् मास्टर प्लान तैयार करने हेतु ग्लोबल निविदा आमंत्रित करने के लिए 50 लाख रूपये व्यय का प्रावधान किया गया है । यह विशेषज्ञों से लीगल, फाइनेन्सियल तथा वास्तुविद के सुझावों के अनुरूप होगा। इसके अन्तर्गत पांच बहुमंजीला इमारतों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रूपये तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों के दो आवासों के निर्माण के लिए 12.6 करोड़ रूपये का प्रस्ताव यू०जी०सी०/राज्य सरकार के पास भेजने का प्रावधान किया गया है ।

(I) **नये स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना** - वर्त्तमान में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से एवं नए पाठ्यक्रमों के संचालन के

लिए 11 स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने का भी प्रस्ताव है :-

1. P.G. in Molecular Human Cytogenetics
2. P.G. in Applied Criminology
3. P.G. in Anthropology
4. P.G. in Women Studies
5. P.G. in Human Resource Development
6. P.G. in Hindi Journalism & Mass Communications
7. P.G. in Herbal Chemistry
8. P.G. in Enveironmental Science & Management
9. P.G. in Biotechnology
10. P.G. in Computer Application (MCA)
11. P.G. in GIS & Remote Sensing

(J) राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के पत्रांक 2433 दिनांक 23.12.2014 के माध्यम से विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2014-15 के 373.18 करोड़ रूपये के घाटा अनुदान बजट को केवल 270.39 करोड़ रूपये के लिए ही अनुमोदन प्रदान किया है । परिणाम स्वरूप 102.79 करोड़ रूपये का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय के व्ययों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

(K) विश्वविद्यालय के विभिन्न ट्रस्ट एवं इण्डोमेन्ट के बैंक खातों में अद्यतन संचित राशि तथा नयी पेंशन योजना के संबंध में कृत कार्यवाई की जानकारी भी प्रस्तावित बजट में सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है ।

(L) प्रधान महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षकदल द्वारा पटना विश्वविद्यालय का वित्तीय वर्ष 2011-12 तक का अंकेक्षण सम्पादित किया जा चुका है तथा इस अवधि का अंकेक्षण (निरीक्षण) प्रतिवेदन भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुका है। इसका अनुपालन प्रतिवेदन भी प्रधान महालेखाकार बिहार को भेज दिया गया है । इस सम्बंध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन भी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को भेज दिया गया है ।

(M) आंतरिक अंकेक्षक मेसर्स वरूण एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट, पटना द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण समापन की ओर है । अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रधान लेखाकार बिहार, पटना एवं राज्य सरकार को अग्रेतर कारवाई हेतु भेजा जायेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ वित्तीय वर्ष 2013-14 का वास्तविक आय-व्यय, वित्तीय वर्ष 2014-15 का पुनरीक्षित आय-व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राक्कलन सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

जय हिन्द, जय भारत ।

पटना ।
दिनांक : 29.01.2015

PATNA UNIVERSITY

Ashok Rajpath, Patna - 800 005

Website : *www.patnauniversity.ac.in*

Printed at : P. U Press